दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

174 पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–टीकमगढ़ R-2843-II/14

1. परमानन्द पुत्र श्री धोबन काछी
2. शिवदयाल पुत्र श्री धोबन काछी
3. शेरसिंह पुत्र श्री धोबन काछी निवासीगण चंदेरा तहसील लिधौरा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. वहीद तनय तेज खॉं
2. करीम तनय तेज खॉं
3. रमसीगा तनय परमोला
4. अमान तनय परमोला
5. चन्ने तनय परमोला
6. भदई कुशवाहा तनय मालूम नहीं

निवासीगण चंदेरा तहसील लिधौरा जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

दिवाकर दीक्षित, अधि० 1-9-14

दिवाकर दीक्षित (एड०) ग्वालियर (म०प्र०)

<u>न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल स्यावनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, खसरा नं. 2494/2, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2501, 2502 रकवा क्रमशः 0.093, 0.486, 0.401, 0.470, 0.198, 0.376, 0.433, 0.812 हैक्ट्यर के सीमांकन हेतु आवेदन अनावदेकगण द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत् पेश किया गया था।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक मण्डल स्यावनी द्वारा सीमावर्ती कृषकों एवं आवेदकगण को सूचना दिये बिना ही पारित आदेश दिनांक 13.07.2014 से सीमांकन आदेश पारित कर यह आदेश दिया। कि अनावेदकगण को उक्त सीमांकन कार्यवाही की विधिवत् सूचना दी गयी थी। इसलिये उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की जाती है एवं सीमांकन पंचनामा फील्ड बुक, नक्शा ट्रेस यथावत् स्वीकृत किया जाता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरान-2843-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ परमानन्द विरूद्ध वहींद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल स्यावनी के प्रकरण क्रमांक 85/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	08.01.2019